न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–49/2010

CIS NO.-TS-146/2019

आशा देवी..वादिनी

बनाम

निलम देवी..प्रतिवादिनी

DATE	ORDER	REMARKS
05.06.2023	वादिनी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादिनी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 11.01.2018 अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 11.01.2018 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु निर्धारित है। प्रतिवादिनी का साक्ष्य चल रहा था तब वादिनी को निम्न वर्णित बयनामा दस्तावेज का पता चला तो वादिनी ने निबंधित कार्यालय में खोजबीन शुरू कराया तो निबंधित दस्तावेज सं0–9252 का पता चला। जिसकी सच्ची प्रति वादिनी द्वारा निबंधित कार्यालय से निकलवाकर दिनांक 09.08.2017 को दाखिल किया। जो मु0 शकुंतला द्वारा प्रतिवादिनी श्रीमति निलम देवी के पक्ष में दिनांक 30.10.2004 को निष्पादित किया गया है। जिसकी मूल प्रति प्रतिवादिनी के पास है। अतः न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निबंधित दस्तावेज सं0–9252 दिनांक 30.10.2004 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित कराना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है वादिनी का साक्ष्य खोलकर उक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। प्रतिवादिनी की ओर से वादिनी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा वादिनी के आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध होना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके परंतु वादिनी को साक्ष्य लाने हेतु	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–49/2010

CIS NO.-TS-146/2019

आशा देवी...वादिनी

बनाम

निलम देवी..प्रतिवादिनी

लगातार 05.06.2023	पर्याप्त समय देने के बाद वादिनी का साक्ष्य बंद किया गया था। फिर भी न्यायहित में वादिनी के आवेदन दिनांक 11.01.2018 को मो0–500/– (पाँच सौ) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा वादिनी के द्वारा दाखिल दस्तावेज सं0–9252 दिनांक 30.10.2004 की सच्ची प्रतिलिपि को क्रमानुसार पीठ लिपिक को प्रदर्श अंकित करने का निर्देश दिया जाता है। आगामी दिनांक 19.06.2023 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	